रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082020-221182 CG-DL-E-17082020-221182

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404] No. 404] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2020/श्रावण 26, 1942 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2020/SHRAVANA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2020

संख्या 76/ 2020-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.िन. 510(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के साथ पठित धारा 157, 143एए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड एतद द्वारा, विनिर्माण और अन्य कार्यों में संशोधन करने के लिए, वेयरहाउस (सं.-2), विनियमन 2019 में निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:—

- 1. लघु शीर्ष व टिप्पणी.- (1) ये विनियम वेयरहाउस (सं. 2), में विनिर्माण और अन्य कार्य , संशोधन विनियम, 2020 हैं। (२) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 2. वेयरहाउस (सं. 2), में विनिर्माण और अन्य कार्य , संशोधन विनियम, 2019 में, विनियमन 3 को निम्नलिखित विनियमन से प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:—

3755 GI/2020 (1)

"3 प्रावधान.- ये विनियमन निम्न पर लागृ होंगे —

"अधिनियम की धारा 58 के तहत किसी लाइसेंसधारी वेयरहाऊस में —

- (i) अधिनियम की धारा 65 के तहत कार्य करने वाली इकाइयाँ, या
- (ii) अधिनियम की धारा 65 के तहत कार्य करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाली इकाइयाँ। "

[फा. सं. 473/03/2020-सीमा-शुल्क]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना सं.- 69/2019-सीमा-शुल्क (गै.टे.) दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को भारत के राजपत्र असाधारण में , सा.का.नि. 754 (अ), 01 अक्टूबर, 2019 के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2020

No. 76/2020-Customs (N.T.)

- **G.S.R. 510(E).**—In exercise of the powers conferred by section 157, 143AA read with section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, to amend the Manufacture and Other Operations in Warehouse (no. 2) Regulations, 2019, namely:—
- 1. **Short title and commencement**. (1) These regulations may be called the Manufacture and Other Operations in Warehouse (no. 2) Amendment Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Manufacture and Other Operations in Warehouse (no. 2) Regulations, 2019, for regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely:—
- "3. Application. These regulations shall apply to, —
- (i) the units that operate under section 65 of the Act, or
- (ii) the units applying for permission to operate under section 65 of the Act,

in a warehouse licensed under section 58 of the Act.".

[F. No. 473/03/2020-LC]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 69/2019-Customs (N.T.), dated the 01st October, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 754(E), dated the 01st October, 2019.